

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)****अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

यूआईडी संख्या : UPFS/2021/30103/HAP/HAPUR/445/CFO

दिनांक : 25-03-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **GOHIT PUBLIC SCHOOL** पता **KHASRA NO 235 1 2, VILLAGE NYAJPUR KHAIYYA, HAPUR** तहसील - **GARHMUKTESHVER** प्लॉट एरिया **8100 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1014** (वर्ग मीटर), ब्लॉको की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
GOHIT	2	0	7.25 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **GOHIT PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **01-04-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **AMRESH GOHIT** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-04-2021** से **01-04-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अन्य के सम्बन्ध में लगायी गयी शर्त के अनुसार **3** माह में अनुपालन / कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जाती है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं भवन स्वामी मेसर्स **GOHIT PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी सभी प्रकार के सिविल एवं क्रिमिनल गतिविधियों के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**शर्त (Conditions) :**

- 1-भवन के साईड-2 सैटबैक को पूर्ण करा लिया जाये।
- 2-बिल्डिंग के पीछे की तरफ से साईड 2 में 4.50 मीटर चौड़ाई का गैट बना दिया जाये।
- 3-बिल्डिंग के अग्रभाग सैटबैक में बने हिस्से को ध्वस्त कर दिया जाये।
- 4-भवन में अग्निशमन व्यवस्था में पाई गई कमियों को 01 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाये। भवन के टैरेस पर 10000 लीटर पानी की क्षमता का टैंक पूर्ण कर लिया जाये।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

निर्गत किये जाने का दिनांक : **02-04-2021**  
स्थान : **HAPUR**



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**MANU SHARMA**

E20BA3065F899389F18826192C4826BCA10B996A

02-04-2021

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.